भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1998**
दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**तिरुनेलवेली जिले में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन**

**†1998. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत तिरुनेलवेली जिले के ग्रामीण परिवारों को चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत अथवा जारी की गई है और इसमें कितनी वास्तविक प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा तिरुनेलवेली जिले के लिए इस संबंध में और क्या कदम उठाए जाने का विचार है और उक्त प्रयोजन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के ग्रामीण परिवारों सहित देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए, भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, तमिलनाडु में 21.76 लाख (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 18.07.2026 तक, लगभग 91 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, राज्य के 125.26 लाख ग्रामीण परिवारों में

से लगभग 112.64 लाख (90%) ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

इसी प्रकार, मिशन की शुरुआत में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में लगभग 40 हजार (14%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जेजेएम के अंतर्गत लगभग 2.33 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक जिले के 2.80 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2.73 लाख (98%) ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जेजेएम के अंतर्गत जिला-वार निधियों का आवंटन और जिला-वार निधि जारी करने का कार्य तथा उसका अनुरक्षण राज्य स्तर पर किया जाता है। तथापि, वर्ष 2019-20 से केन्द्रीय निधि आवंटन, निधि आहरण तथा तमिलनाडु राज्य द्वारा संसूचित निधि उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रूपए में)

| | केन्द्रीय | | | | | राज्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | अथ शेष | आवंटित निधि | जारी निधि | उपलब्ध निधि | संसूचित उपयोग | हिस्से के तहत व्यय |
| 2019-20 | 1.49 | 373.87 | 373.10 | 374.59 | 114.58 | 99.14 |
| 2020-21 | 264.09 | 921.99 | 690.36 | 954.45 | 576.87 | 399.57 |
| 2021-22 | 377.58 | 3,691.21 | 614.35 | 991.93 | 457.63 | 496.16 |
| 2022-23 | 534.30 | 4,015.00 | 872.96 | 1,407.26 | 593.71 | 664.36 |
| 2023-24 | 813.55 | 3,615.56 | 2,617.10 | 3,430.65 | 2,617.49 | 2,612.30 |
| 2024-25 | 813.15 | 2,438.89 | 731.67 | 1,544.82 | 1,333.23 | 3,343.47 |
| 2025-26 | 211.59 | - | - | 211.59 | - | 983.10 |

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

मार्च 2026 में, मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए परिव्यय के साथ जेजेएम की अवधि को दिसंबर 2028 तक विस्तारित करने और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पुर्नगठित कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्ष 2026-27 में जेजेएम 2.0 के अंतर्गत, तमिलनाडु राज्य को जेजेएम 2.0 के कार्यान्वयन हेतु कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार जेजेएम के तहत किए गए कार्यों के प्रति उपयोग करने के लिए 2,177.27 करोड़ रुपए की धनराशि अनंतिम रूप से आवंटित कर दी है।

*****